(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी भंवर लाल जनागल(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 11 / 2025

पंजीकरण संख्या :– 2025 / 48

बउनवान

1. हेमराज पुत्र कालूलाल जाति मीणा निवासी भैंसड़ा तहसील अटरू जिला बारां (राज.)
2. बादाम बाई पत्नि गोरधन मीणा निवासी भैंसड़ा तहसील अटरू जिला बारां (राज.)

(अपीलांटगण)

बनाम

1. बजरंगलाल पुत्र पन्नालाल बैरवा निवासी भैंसड़ा तहसील अटरू जिला बारां (राज.)
2. कस्तूरीबाई पुत्री पन्नालाल बैरवा निवासी भैंसड़ा तहसील अटरू जिला बारां (राज.)
3. श्रवणीबाई पुत्री पन्नालाल बैरवा निवासी भैंसड़ा तहसील अटरू जिला बारां (राज.)

(रेस्पोडेन्टगण)

अपील विरूद्ध तहसीलदार, अटरू द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183(बी) आर.टी.एक्ट, 1955 प्रकरण संख्या 16 / 2024 मे पारित निर्णय दिनांक 17.10.2024 की अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट के तहत

उपस्थित :– 1– श्री बृजराज सिंह चौहान अभिभाषक (अपीलांटगण)
2– श्री अमन गोस्वामी अभिभाषक (रेस्पोडेन्टगण)

निर्णय दिनांक 12.12.2025

अपीलांटगण द्वारा जरिये विद्वान अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अटरू के प्रकरण संख्या 16 / 2024 किस्म प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183(बी) आर.टी.एक्ट बउनवान बजरंगलाल वगैराह बनाम हेमराज वगैराह मे पारित निर्णय दि. 17.10.2024 से अप्रसन्न होकर अपील विरूद्व रेस्पोडेन्टगण के अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट के तहत इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गई।

अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 02.06.2025 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया और अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अटरू से मूल पत्रावली तलब की गई जो प्राप्त होने पर संलग्न पत्रावली की गई। रेस्पोडेन्टगण द्वारा जरिये अभिभाषक उपस्थिति दी गई। प्रकरण में उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

अपीलांटगण के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाके ग्राम नीमोदा तहसील अटरू की आराजी खसरा नं. 213 / 364 रकबा 0.08 है. व खसरा नं0 215 / 364 रकबा 0.81 है0 कुल किता 2 रकबा 0.89 है. से अपीलांटगण हेमराज व बादाम बाई को बेदखल कर सीमा ज्ञान कर कब्जा रेस्पोडेन्टगण को सुपुर्द किये जाने के आदेश दिये गये है तथा लगान 7.93 / –रूपये का 50 गुना 397 / – रूपये से अपीलांटगण को दण्डित किया गया है। आराजी खसरा नं. 215 रकबा 0.81 है. भूमि रेस्पोडेन्टगण के पिता अमरलाल पुत्र कंवरलाल ने, अपीलांट क्रम 02 बादाम बाई के पति गोरधन पुत्र जगन्नाथ मीणा निवासी भैंसड़ा को 5400 रूपये में बेचान कर कब्जा व मालिकाना हक दिनांक 13.04.1992 को रूबरू गवाहान 30 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर आलेखित कर कब्जा संभला दिया था। खरीद के समय गोरधन जी खसरा नं0 215 रकबा 0.81 हैक्टर पर जब तक जीवित थे, काश्त करते थे। गोरधन जी की मृत्यु दिनांक 17.07.1995 के बाद उक्त खरीदशुदा आराजी को निर्बाध रूप से उनकी पत्नि अपीलांट क्रम 02 बादाम बाई स्वयं मुनाफा काश्त करती चली आ रही है। खसरा नं. 213 / 364 रकबा 0.80 है0 पर रेस्पोडेन्टगण का कोई कब्जा नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को निर्णय पारित करने से पूर्व सुनवाई व जवाबदेही तथा साक्ष्य पेश करने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया। अपीलांटगण जाति से मीणा है जो अनुसूचित जनजाति की परिभाषा में आते है तथा रेस्पोडेन्टगण जाति से बैरवा है जो अनुसूचित जाति की परिभाषा में आते है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय में धारा 183(बी) आर.टी.एक्ट का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कानूनी हक व अधिकार प्राप्त नहीं है।

अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांटगण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 16/2024 किस्म प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183(बी) आर.टी. एक्ट बउनवान बजरंगलाल वगैराह बनाम हेमराज वगैराह मे पारित निर्णय दिनांक 17.10.2024 निरस्त फरमाया जावे।

प्रकरण में रेस्पोडेन्टगण के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस कहा गया कि जमाबंदी संवत् 2072–2075 के अनुसार उक्त विवादित भूमि वाके ग्राम नीमोदा तहसील अटरू की आराजी खसरा नं. 213/364 रकबा 0.08 है. व खसरा नं0 215 रकबा 0.81 है0 कुल किता 2 का कुल रकबा 0.89 है. आराजी हमारे खाते दर्ज है। अपीलांटगण द्वारा जिस 30 रूपये के स्टाम्प पर बेचाननामे का जिक्र किया गया है, वह अनरजिस्टर्ड दस्तावेज है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में अंतर्गत धारा 183(बी) आर.टी.एक्ट के प्रावधानों के अनुरूप विधिवत् प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या 16/2024 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर पटवारी हल्का की रिपोर्ट लेकर निर्णय दिनांक 17.10.2024 रेस्पोडेन्टगण के पक्ष में पारित किया गया एवं दिनांक 19.05.2025 को विवादित आराजी पर रेस्पोडेन्टगण को सीमाज्ञान करवाया जाकर कब्जा संभला दिया गया है। उक्त निर्णय की पालना हो चुकी है। अपील अपीलांटगण खारिज की जावे।

प्रकरण में उभयपक्ष के अभिभाषक की बहस सुनी गई। प्रकरण मे अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अटरू से प्राप्त मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांट के अभिभाषक का कथन है कि वाके ग्राम नीमोदा तहसील अटरू की आराजी खसरा नं. 213/364 रकबा 0.08 है. व खसरा नं0 215/364 रकबा 0.81 है0 कुल किता 2 रकबा 0.89 है. से अपीलांटगण हेमराज व बादाम बाई को बेदखल कर सीमा ज्ञान कर कब्जा रेस्पोडेन्टगण को सुपुर्द किये जाने के आदेश दिये गये है तथा लगान 7.93/–रूपये का 50 गुना 397/– रूपये से अपीलांटगण को दण्डित किया गया है। आराजी खसरा नं. 215 रकबा 0.81 है. भूमि रेस्पोडेन्टगण के पिता अमरलाल पुत्र कंवरलाल ने, अपीलांट क्रम 02 बादाम बाई के पति गोरधन पुत्र जगन्नाथ मीणा निवासी भैंसड़ा को 5400 रूप्ये में बेचान कर कब्जा व मालिकाना हक दिनांक 13.04.1992 को रूबरू गवाहान 30 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर आलेखित कर कब्जा संभला दिया था। खरीद के समय गोरधन जी खसरा नं0 215 रकबा 0.81 हैक्टर पर जब तक जीवित थे, काश्त करते थे। गोरधन जी की मृत्यु दिनांक 17.07.1995 के बाद उक्त खरीदशुदा आराजी को निर्बाध रूप से उनकी पत्नि अपीलांट क्रम 02 बादाम बाई स्वयं मुनाफा काश्त करती चली आ रही है। खसरा नं. 213/364 रकबा 0.80 है0 पर रेस्पोडेन्टगण का कोई कब्जा नहीं है। इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट के अभिभाषक का मुख्य कथन है कि जमाबंदी संवत् 2072–2075 के अनुसार उक्त विवादित भूमि वाके ग्राम नीमोदा तहसील अटरू की आराजी खसरा नं. 213/364 रकबा 0.08 है. व खसरा नं0 215 रकबा 0.81 है0 कुल किता 2 का कुल रकबा 0.89 है. आराजी हमारे खाते दर्ज है जिस पर अपीलांटगण का कोई अधिकार नहीं है।

प्रकरण में अपीलांटगण के अभिभाषक अपने कथनानुसार विवादित भूमि सन् 1992 में 30 रूपये के स्टाम्प पर क्रय किया जाना बताया है जो अनरजिस्टर्ड दस्तावेज है जो विधिवत् दस्तावेज नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अटरू द्वारा पारित निर्णय की पालना भी हो चुकी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में इस न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांटगण सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अटरू द्वारा उनके न्यायालय के प्रकरण संख्या 16/2024 किस्म प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183(बी) आर.टी.एक्ट बउनवान बजरंगलाल वगैराह बनाम हेमराज वगैराह मे पारित निर्णय दिनांक 17.10.2024 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक **12.12.2025** को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

(भंवर लाल जनागल)
अति0 जिला कलक्टर,
बारॉ